"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मार्च 2017 — फाल्गुन 15, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-8/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2196 रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2017

1. श्रीमती सविता गुप्ता, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर, छ. ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 1 मार्च 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014-जनवरी 2015 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 16 फरवरी 2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत पेण्ड्रा के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता को दिनांक 30-5-2015 को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रही तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता को दिनांक 16-6-2015 को तामील की गई. अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता द्वारा कारण बताओ सूचना के संदर्भ में जवाब दिनांक 8-7-2015 आयोग कार्यालय में दिनांक 16-7-2015 को प्राप्त हुआ.

4. अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् उनके ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण आवेदिका का पूरा परिवार शोक संतिप्त रहने के कारण वे समयावधि के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर सकी. उन्होंने जानबूझकर कोई त्रुटि नहीं की. उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान करने का भी निवेदन किया. जवाब की पुष्टि में कोई प्रमाण-पत्र/अभिलेख आदि संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बिलासपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा पत्र क्रमांक 166/सहा. अधी./स्था. निर्वा./न. पा./व्यय. लेखा./2016, दिनांक 5-7-2016 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता द्वारा अपने जवाब की पुष्टि में ससुर की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही आज पर्यन्त निर्वाचन व्यय लेखा भी प्रस्तुत किया. अभिमत में अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता के विरुद्ध नियमानुसार निरर्हित किया जाना प्रस्तावित किया गया.

6. अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में सुनवाई हेतु उन्हें दिनांक 24 जनवरी 2017 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता आयोग कार्यालय में सूचना प्राप्ति के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुई. अत: प्रकरण में यह मानकर कि अभ्यर्थी को अपने जवाब की पृष्टि में और कुछ नहीं कहना है, एकपक्षीय कार्रवाई की गई.

7. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में विहित रीति से अधिसूचित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा-** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना-** अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत पेण्ड्रा के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त विहित रीति से दाखिल किया. आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में दर्शाया गया कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् उनके ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पूरा परिवार शोक संतप्त रहने के कारण वे समयावधि के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर सकी. उन्होंने जानबूझकर कोई त्रुटि नहीं की. उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान करने का भी निवेदन किया. परन्तु अभ्यर्थी ने अपने जवाब की पुष्टि में कोई अभिलेख अथवा प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से भी निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में प्रस्तुत कर सकती थी, परन्तु अभ्यर्थी ने ऐसा नहीं किया और न ही आज पर्यन्त निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया. उन्हें पक्ष समर्थन में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहूत किये जाने पर वे निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में सूचना उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुई तथा इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी श्रीमती सविता गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहीत रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई

यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 1 मार्च, 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.